न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 26/2025

नन्दा दत्तक पुत्र हीरा जी दरोगा आयु बालिग पेशा काश्त निवासी मोतीपुरा हाल मुकाम बड़ाखेड़ा तह. बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.... प्रार्थी

बनाम

1. छीतरमल पिता कालू जी दरोगा निवासी मोतीपुरा तह. बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज.)
2. रतनलाल पिता लालुराम जी दरोगा निवासी मोतीपुरा तह. बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.... विपक्षीगण

उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री देवेन्द्र सिंह

अप्रार्थी अधिवक्ताः–अनुपस्थित।

निर्णय तिथिः–20.04.2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.ए.

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) के तहत निम्न प्रकार प्रस्तुत है किः–

यह कि ग्राम मोतीपुरा प.ह. मोतीपुरा में प्रार्थी की कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात स्थित है जिसकी तफशील निम्न प्रकार है कि :–

खाता नं.	आराजी नं.	रकबा
77	285	0.6000 है.
	284	0.4100 है.
	111	0.6700 है.
	कुल किता 3	रकबा 1.6800 है.

यह कि उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने के लिए रास्ता स्थित है जो आराजी संख्या 286 से होता हुआ आराजी सं. 288 कुए पर जाता है जो कुआँ गै.मु.सामलाती दर्ज रेकार्ड है जिसका उपयोग–उपभोग प्रार्थी बाप दादाओं के जमाने से करता आ रहा है। आराजी नं. 286 विपक्षीगण के नाम पर दर्ज रिकार्ड है जिसमे रास्ता कायम होकर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थी के पास प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि पर आने जाने के लिए नही है।

यह कि प्रार्थी दिनांक 13/02/2025 को उक्त रास्ते से होकर निकलने लगे तो विपक्षीगण ने उक्त रास्ते से निकलने बाबत् मना कर देने से होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रार्थी उक्त रास्ता घोषित कराने का वैध अधिकारी है इसके लिए प्रार्थी नियमानुसार न्यायालय श्रीमान् के आदेशानुसार धारा 251 (क) की समस्त शर्तो की पालना करने को तैयार एवं तत्पर है विपक्षीगण के द्वारा रास्ते से निकलने मना कर देने से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् आप मे पेश करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि अगर प्रार्थी के पक्ष मे उक्त रास्ता घोषित नही किया गया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी की कृषि आराजी पर आ जा नही सकेंगे, काश्त नही हो सकेगी जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसके विपरीत विपक्षीगण को कोई नुकसान नही होगा क्योंकि प्रार्थी धारा 251 (क) की समस्त शर्तों की पालना कर विपक्षीगणो के लिए निश्चित राशि (मुआवजा) अदा करने को तैयार एवं तत्पर है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

यह कि प्रार्थना पत्र वर्णित सम्पति ग्राम मोतीपुरा प.ह. मोतीपुरा तह. बेगूँ मे स्थित होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् आपको होकर प्रार्थना पत्र न्यायालय समायत आप मे है।

अतः प्रार्थना न्यायालय श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा मोतीपुरा प.ह. मोतीपुरा मे स्थित खसरा संख्या 286 से होता हुआ रास्ता आराजी सं. 288 कुए पर जाता है उसे कायम किया जाकर 3 फिट चौडा रास्ते को धारा 251 (क) के तहत विस्तारित किये जाने का आदेश प्रदान करावे एवं रेवेन्यू रिकार्ड मे भी दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये तथा प्रकरण में रास्ता सम्बन्धी मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार बेगूँ को पत्र लिखा गया। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र कमांक 64 दिनांक 22.01.2026 के साथ संलग्न पर्चामौका रिपोर्ट एवं भू0अ0नि0 वृत पारसोली की रिपोर्ट तथा मार्ग में आने वाली भूमि की डी एल सी दर से रिपोर्ट टी.आर.ए. के साथ रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्राप्त रिपोर्ट में अंकित किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा मोतीपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा की आराजी संख्या 285, 284 व 111 कित्ता 3 कुल रकबा 1.68 हेक्टेयर भूमि में आने जाने हेतु चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट चाही गई है जो निम्नानुसार है –

प्रार्थी खातेदार की भूमि में आने जाने बाबत् रास्ता आवश्यक है और यह केवल सुविधाजनक उपयाग के लिए नहीं है।

इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता वैकल्पिक नहीं है।

अन्य खातेदार की आराजी में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंचने हेतु वैकल्पिक मार्ग न्यूनतम दूरी पर है।

प्रार्थी नन्दा दत्तक पुत्र हीरा दरोगा अपनी खातेदारी आराजी संख्या 111 से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी संख्या 288 आ.चा. तक पहुँच मार्ग हेतु रास्ता चाहता है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवारिक हिस्सेदार होकर पूर्व में खाता विभाजन होकर खाता अलग दर्ज हुआ किन्तु पूर्व में आराजी संख्या 288 कुआ तक पहुँच मार्ग हेतु रास्ते का प्रावधान नहीं होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य रास्ते का विवाद है। अतः नवीन प्रस्तावित पहुँच मार्ग हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 626/111 में से 0.0352 हेक्टेयर आराजी संख्या 110 में से 0.0096 हेक्टेयर आराजी संख्या 289 में से 0.0048 हेक्टेयर कुल 0.0496 हेक्टेयर पहुँच मार्ग हेतु प्रस्तावित है। जिसे संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है।

प्रस्तावित रास्ते की कुल भूमि 0.0496 हेक्टेयर में से खातेदार छीतरमल पुत्र कालु दरोगा निवासी मोतीपुरा का 1/2 हिस्सा है एवं रतनलाल पुत्र कालुराम दरोगा का 1/2 हिस्सा है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के मुआवजा हेतु राशि की गणना तहसील राजस्व लेखाकार से पृथक से करवाई जाकर संलग्न है।
प्रस्तावित रास्ते के अधीन अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त खड़े वृक्ष, फसल या संरचना को हटाने से कोई हानि या नुकसान नहीं है। अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 110 रकबा 0.04 हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में आ.चा. दर्ज है परन्तु मौके पर आ.चा. नहीं होकर पडत भूमि है।

यह कि भूमि के मूल्य के अलावा कोई क्षति नहीं होगी। आराजी संख्या 626/111, 110, 289 मे सिर्फ भूमि का मूल्य का आंकलन के अलावा अन्य कोई क्षति नहीं है। प्रस्तुत रिपोर्ट के साथ संलग्न रिपोर्ट भू0अ0नि0 वृत पारसोली व पर्चामौका रिपोर्ट,नजरीनक्शा, एवं रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. अनुसार प्रभावित मुआवजा राशि की रिपोर्ट जो कि तहसील राजस्व लेखाकार द्वारा संलग्न की गई है का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

भू. अ. नि. वृत्त पारसोली की रिपोर्ट अनुसार रास्ते हेतु ग्राम मोतीपुरा पटवार मण्डल मोतीपुरा की आराजी संख्या 626/111 में से 352 वर्गमीटर, आ.सं. 110 में से 96

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 289 में से 48 वर्गमीटर कुल 496 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित हैं।

DLC = 912000/–

DLC का दुगुना = 912000 X 2 = 1824000/ है० या 182.4 रूपये / वर्गमीटर

वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रभावित भूमिधारकों को देय राशि निम्नानुसार है :–

कुल देय राशि = 496x182.4 = 90470/–

क्र. सं.	आराजी संख्या	नाम खातेदार	हिस्सा	राशि
1.	626 / 111, 110, 289	छीतरमल पुत्र कालू जाति दरोगा	1/2	45235
2.		रतनलाल पुत्र लालुराम जाति दरोगा	1/2	45235

पत्रावली में प्राप्त रिपोर्ट पर एवं प्रार्थना पत्र 251–(क) आर.टी.एक्ट पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए तथा प्राप्त रिपोर्ट को सही बताते हुए रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की बाजार दर से मुआवजा राशि का नियमानुसार भुगतान किये जाने की सहमति जाहिर की है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुने जाने एवं पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज एवं रास्ता सम्बन्धी रिपोर्ट का अवलोकन से पाया कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुँच के लिए प्रस्तावित रास्ता ही एक मात्र विकल्प है, जिसकी मुआवजा राशि प्रार्थीगण जमा कराने को तैयार है साथ ही विपक्षीगण ने बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित आकर अपना कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मोतीपुरा प.ह. मोतीपुरा की कृषि आराजी संख्या 285, 284, 111 कीता–3 कुल रकबा 1.6800 हैक्टर भूमि पर पहुचने के लिए रास्ते के उपयोग में ली जाने वाली भूमि विपक्षी छीतरमल पिता कालू जी दरोगा एवं रतनलाल पिता लालुराम जी दरोगा की कृषि भूमि आराजी संख्या 626 / 111 में से 352 वर्गमीटर, आ.सं. 110 में से 96 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 289 में से 48 वर्गमीटर कुल 496 वर्गमीटर भूमि की मुआवजा राशि 90470 / – तथा अप्रार्थीगण को भूमि समर्पण से होने वाले मानसिक संताप हेतु क्षति के रूप में राशि 45236 / –(अप्रार्थीगण प्रत्येक को 22618-22618 / -) कुल राशि 135706 (मुआवजा राशि+क्षतिपूर्ति राशि) प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय में विपक्षीगण को दिये जाने हेतु मुआवजे के रूप में जमा कराने पर ही प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर पहुँच के लिए मौजा मोतीपुरा की आराजी संख्या 626 / 111 में से 352 वर्गमीटर, आ.सं. 110 में से 96 वर्गमीटर तथा आराजी संख्या 289 में से 48 वर्गमीटर कुल 496 वर्गमीटर भूमि रास्ता आने जाने हेतु सार्वजनिक रास्ते के रूप में राजस्व रिकोर्ड में एवं नक्शे में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। भू. अ. नि. वृत्त पारसोली की मौका रिपोर्ट उक्त निर्णय का अनन्य भाग रहेगी। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

आदेश आज दिनांक 20.04.2026 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ